

(148) (152)

# कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./विविध/3554/12-13/51

दिनांक:- 11/6/12

प्रेषक :

हर सहाय मीणा IAS  
निदेशक

प्रेषिती :

उपनिदेशक  
प्रारंभिक शिक्षा  
जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/  
चुरु/भरतपुर/उदयपुर

**विषय:-** अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के संबंध में।

**प्रसंग:-** शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का पत्रांक प.6(5)प्राशि/2011/जयपुर दिनांक 09.05.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बी.एल.ओ. के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बी.एल.ओ. के कार्य एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों द्वारा बी.एल.ओ. का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित किये बिना अतिरिक्त कार्य के रूप में निष्पादित करना है। अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में बी.एल.ओ. के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरित प्रभाव नहीं पड़े इसलिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

अतः उक्त आदेशों की अनुपालना अपने मण्डल के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

o/c निदेशक 31/5/12

**प्रतिलिपि:-** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प. 6(5)प्राशि/2011/जयपुर दिनांक 09.05.12 के क्रम में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा .....
3. अनुभाग अधिकारी पंचायत राज अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. निजी सचिव निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।

o/c उपनिदेशक(आर.टी.ई.)